फर्द अहकाम

बनाम

...ायालय

...ख्या

...या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशे...
	28/11/19	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील प्रार्थीगण अपनी बहस में प्रा० पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद ग्रस्त आराजी सामलात की भूमि है। जिस पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी अपने-2 हिस्से पर काबिज काश्त है पक्षकारान के मध्य आये दिन रास्ते सम्बन्धित विवाद बना रहता है तथा अप्रार्थीगण भूमि का बिना बटवारा किये निर्माण कार्य करने पर आमादा रहते है अतः अप्रार्थीगण को तादौराने वाद पाबन्द किया जावे व स्थगन आदेश दिनांक 3/5/18 को कनफर्म किया जावे वकील अप्रार्थीगण अपनी बहस में उजर तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि प्रतिवादी सं.1 के हिस्से में ख0नं0 117, 118, के हिस्सा 1/2 व तरफ उत्तर बाहमी बटवारे में आई है। जिस पर वह काबिज है। जिस पर उसे तामीर करवाने का पूर्ण अधिकार है आराजी ख0नं0 110, 116, 117 118 में कोई रास्ता मौजूद नहीं है जिसे वादकारान का कोई सवाल पैदा नहीं होता अतः प्रा0 पत्र खारिज फरमावे। हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया वादग्रस्त आराजी पक्षकारान की सामलात की भूमि है जिसके वादी एवं प्रतिवादीगण सह खातेदार एवं काश्तकार है यदि दौरान वाद वादग्रस्त आराजी में मौके की स्थिति में परिवर्तन होता है वह निर्माण कार्य होता है तो पक्षों को अपूरणीय क्षति होगी अतः आदेश दिनांक 3/5/18 कन्फर्म किया जाकर आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थीगण तादौराने वाद आराजी हाल ख0नं0 117/0.32, 118/0.42, 110, 116 वाके मौजा पावटा तह0 पावटा के मौके पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करे तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखे पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो सहायक कलक्टर कोटपूतली (जयपुर)	